भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2597

11 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

असम के चाय बागान क्षेत्रों में पीडीएस लाभार्थी

2597. श्री तेराश गोवाला:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत असम के चाय बागान क्षेत्रों के निवासी लाभार्थियों की पोषण स्थिति का परीक्षण किया है;

(ख) क्या किसी क्षेत्र-विशिष्ट पोषण हस्तक्षेप पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके अपेक्षित लाभार्थी कौन होंगे?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): सरकार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, जो लोगों को गरिमापूर्ण जीवन-यापन हेतु पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराती है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का कार्यान्वयन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 75 प्रतिशत तक ग्रामीण जनसंख्या तथा 50 प्रतिशत तक शहरी जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार, जो समाज के अत्यंत निर्धन वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) प्रति व्यक्ति प्रति माह, 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं। अधिनियम के अंतर्गत कवरेज काफी अधिक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समाज के सभी कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जा रही है। अधिनियम के अंतर्गत "खाद्यान्न" से अभिप्राय चावल, गेहूं अथवा मोटे अनाज, या इनके किसी संयोजन से है, जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो।

पोषण स्तर में सुधार हेतु, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह परामर्श भी जारी किया गया है कि वे स्थानीय उपभोग की प्राथमिकताओं तथा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मिलेट्स (श्री अन्न) की खरीद करें तथा उनका वितरण लाभार्थियों को करें।

इसके अतिरिक्त, लक्षित लाभार्थियों के पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 25.01.2023 की अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की **अनुसूची-II** में विनिर्दिष्ट पोषण मानकों में संशोधन किया है।
